आपदा शमन कार्य योजना

आपदा को टालना संभव नहीं है, परंतु उसके प्रभाव को पूर्व तैयारी एवं शमन के द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है। जिला मंदसौर में आपदा शमन के कार्यों को दो वर्गों– संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक में वर्गीकृत कर कार्य योजना तैयार की गई है।

संरचनात्मक शमन :

जिला मंदसौर में किसी भी ढांचागत निर्माण के पूर्व, क्षेत्र विशेष में विद्यमान खतरों/संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही निर्माण किया जायेगा। इस हेतु क्रियान्वयन तंत्र को प्रभावी एवं गतिशील किया जायेगा।

गैर संरचनात्मक शमन :

मन्दसौर जिले में चिन्हित खतरों के प्रति में स्थानीय जन समुदाय को तैयार किया जायेगा, जिससे समुदाय किसी भी जोखिम/आपदा की स्थिति का सामना प्रभावी तरीके से कर सके। इसके अन्तर्गत विभिन्न खतरों के प्रति संवदेनशील क्षेत्रों मे रहने वाले परिवारों/समुदायों/संस्थाओं (सरकारी तथा गैर–सरकारी) इत्यादि घटकों को जानकारी, जागरूकता, प्रशिक्षण एवं कौशल वृद्धि के माध्यम से प्रभावी एवं गतिशील किया जायेगा।

गैर संचरनात्मक शमन कार्य के अन्तर्गत सूचना संप्रेषण के विभिन्न तरीकों जैसे– समुदाय आधारित बैठकों, दीवार लेखन, स्कूल/महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को विभिन्न खतरों के विषय में जानकारी संप्रेषण, सेमीनार, कार्यशाला, चिन्हित विभिन्न खतरों के दौरान ''क्या करें क्या ना करें'' संबंधित बुकलेटों का निर्माण एवं वितरण, पोस्टरों का निर्माण, स्कूल/महाविद्यलायों मे विभिन्न खतरों के विषय में चित्रकला प्रतियोगिता, होर्डिंग का निर्माण इत्यादि माध्यमों का उपयोग करते हुए स्थानीय जनसमुदाय/संस्थाओं की क्षमता वृद्धि की जायेगी। जिससे वे किसी आपात स्थिति में प्रदत्त जानकारी का उपयोग करते हुए प्रभावी रूप से आपदाओं का सामना करने मे सक्षम हो सके।

1. भूकंप

संरचनात्मक शमन

- पुराने एवं जीर्ण शीर्ण भवनों का चिन्हीकरण एवं मजबूतीकरण।
- आधारभूत सेवाओं से सम्बंधित संरचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मजबूतीकरण। प्रथम चरण में जिला मन्दसौर के दो प्रमुख भवनों जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला अस्पताल के दृढीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

(आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल द्वारा भूकम्पीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु एक मेनुअल विकसित किया गया है जिला प्रशासन द्वारा भवन निर्माण हेतु उक्त मेनुअल का उपयोग किया जा सकता है।)

गैर संरचनात्मक शमन

गैर संरचनात्मक उपाय अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां की जायेगी।

- भू–उपयोग योजना
- प्रशिक्षण एवं कार्यशाला
- जन–जागरूकता

भू–उपयोग योजना– भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में बडी इमारतों/भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा। यदि निर्माण आवश्यक है तो भूकम्प से संबंधित मानदण्डों के अनुरूप ही निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाये।

प्रशिक्षण एवं कार्यशाला– जिले में निर्माण कार्य में संलग्न विभिन्न वर्गो के व्यक्ति जैसे सिविल इंजीनियर, आर्कीटेक्ट, ठेकेदारों, सुपरवाइजरों, राजमिस्त्री इत्यादि प्रमुख घटकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिससे निर्माण कार्य में लगे सभी व्यक्तियों का भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु आवश्यक अभिमुखीकरण किया जा सके। आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल द्वारा विभिन्न वर्गों जैसे सिविल इंजीनियर, आर्कीटेक्ट के प्रशिक्षण हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिले के प्रमुख सरकारी/गैरसरकारी इंजीनियरों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जावेगा।

जन–जागरूकता– भूकम्प के दौरान जान–माल की क्षति को कम करने के लिए परिवार/समुदाय/सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं/विभागों को भूकम्प के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूक एवं गतिशील किया जायेगा। इस हेतु (IEC) के विभिन्न पद्धतियों एवं तरीकों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

भूकम्परोधी मकानों के निर्माण से सम्बंधित कानूनों एवं मानकों का कडाई से अनुपालन।

2. बाढ़

संरचनात्क शमन

जिला मन्दसौर में बाढ़ आपदा प्रबंधन अंतर्गत निम्नलिखित संरचनात्मक कार्य किया जायेगा।

1. चिन्हित बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों/स्थलों/ग्रामों में जहॉ से बाढ़ का पानी सर्वप्रथम प्रवेश करता है उन स्थलों पर आवश्यकतानुरूप सुरक्षा दीवाल एवं किनारों का विकास किया जायेगा।

2. जिले की बाढ़ उत्प्लावन नदियों के प्राकृतिक बहाव क्षेत्रों (Natural Detention Basin) का चिन्हीकरण एवं आवश्यकतानुसार विकास।

3. संवेदनशील क्षेत्रों/गांवों में चेक डेम, स्टाप डेम, रिर्जव वायर, का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

4. बाढ़ प्रभावित एवं अन्य क्षेत्रों में जल निकासी हेतु प्रभावी कार्य योजना आवश्यकतानुसार तैयार एवं लागू की जायेगी।

5. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों/स्थलों/गांवों में बाढ़ के पानी के दिशा परिवर्तन हेतु आवश्यकता अनुरूप निर्माण किया जायेगा।

6. वर्षा जल संचयन कार्य योजना प्रभावी तरीके से लागू की जायेगी।

7. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोकने हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

8. जिले की प्रमुख नदियों पर जलस्तर मापक केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
9. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विशेष मानचित्रण जिसमें नदी के बहाव की दिशा, जल निकास क्षेत्र एवं उसकी दिशा, प्रभावित हो सकने वाले गांवो, सड़कों, कस्बों, नगरों, प्रमुख संरचनाओं इत्यादि का चित्रण किया जायेगा।

प्रतिवर्ष मानसून आने से पूर्व ही जिले में स्थित सभी संरचनाओं जैसे– बांध, चेक डेम, नहर इत्यादि का रख–रखाव, मानीटरिंग एवं आवश्यक सुधार सम्पन्न किया जायेगा। इस कार्य को प्रभावी तरीके से करने हेतु जिला स्तर पर एक तंत्र विकसित किया जायेगा।

गैर संरचनात्मक शमन

जिला मंदसौर में बाढ़ के प्रभावी रोकथाम एवं शमन हेतु निम्नलिखित गैरसंरचनात्मक कार्य किये जायेंगे।

1. जागरूकता– असुरक्षित से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के मार्ग की जानकारी।
2. बाढ़ पूर्व सूचना तंत्र को प्रभावी करने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार एवं लागू की जायेगी।
3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को विभिन्न बीमा संबंधी जानकारी प्रदत्त करते हुए उपयोग हेतु प्रेरित किया जायेगा।
4. जिले में बाढ़ के पूर्व इतिहास के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान।
5. बाढ़ हेतु संवदेनशील क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने हेतु कार्य योजना विकसित की जायेगी।

6. जिले में स्थिति प्रमुख बांधों के अधिकारियों के बीच समन्वय हेतु सूचना तंत्र स्थापित एवं क्रियाशील किया जायेगा।

7. बाढ़ हेतु संवेदनशील स्थलों/ग्रामों मे रहने वाले स्थानीय जनसमुदाय/संस्थाओं /विभागों को बाढ़ से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान कर जागरूक एवं गतिशील किया जायेगा। इस हेतु (आई0ई0सी0) सूचना संचार संप्रेषण के विभिन्न तरीकों/पद्धतियों का उपयोग किया जायेगा।

3. बॉध का टूटना

संरचनात्मक शमन

- प्रतिवर्ष मानसून आने के पहले बांधों का समुचित रख–रखाव एवं आवश्यक निर्माण या मरम्मत कार्य पूर्ण किया जायेगा।
- बांध के निचले हिस्सें में प्रभावित नदी–नाले पर जलस्तर के लिए संकेतक का निर्माण।
- वैकल्पिक पुर्नवास की व्यवस्था एवं आवश्यक निर्माण।
- आपात स्थिति में बॉध के पानी का दिशा परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्माण एवं उपाय।

गैर संरचनात्मक शमन

- बॉध के किनारे बसे गावों/समुदाय के लोगों को सम्भावित घटनाओं के संबंध में जानकारी एवं जागरूक करना।
- बॉध के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के बीच सूचना तंत्र की स्थापना।
- बांध के निचले हिस्से में संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण एवं सूचीकरण।
- आपात स्थिति की सूचना समुदाय को प्रेषित करने हेतु आवश्यक तंत्र/सायरन की व्यवस्था।

4. घरेलू आग

संरचनात्मक

- विद्युत तार का उचित एवं सुरक्षित उपयोग।
- अग्निशमन उपकरणों एवं वाहनों की तैनाती।
- बड़े भवनों में आपात मार्गों का निर्माण।
- अलार्म व्यवस्था की स्थापना।
- बडे भवनों के ऊपरी भाग में आग बुझाने के लिए पानी के संग्रह की व्यवस्था सुनिस्चित करना।
- खिड़की एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था वाले भवनों का निर्माण।

गैर संरचनात्मक

- आग से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में समुदाय को जागरूक करना।
- रसोई गैस के उपयोग हेतु प्रशिक्षित एवं जानकारी।
- ज्वलनशील पदार्थों के रख रखाव की जानकारी प्रदान करना।

5. जंगल की आग

संरचनात्मक

- आग फैलने से रोकनें हेतु वन विभाग द्वारा ट्रेंच का निर्माण।
- क्षेत्र में जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण एवं चिन्हांकन।

गैर संरचनात्मक

- अग्निशमन बिन्दु की जानकारी,
- निगरानी दल का गठन,

- वन क्षेत्र के पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से पूर्व सावधानी हेतु जागरूक करना।
- फारेस्ट बीट के वनरक्षक, वनपालो एवं अधिकारियों को संभावित खतरों से वनक्षेत्र में मुनादी कर वनवासियों को आगाह कराना।
- निकटतम फायर बिग्रेड एवं पानी के संसाधनों की सूची एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वन पशुओं की बसाहट की पहचान एवं इनकों बचाने हेतु सावधानी।
- तेन्दूपत्ता एवं महुआ संग्रहण स्थलों को सुरक्षित रखने हेतु ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिवों के माध्यम से ग्रामों में मुनादी कराकर सर्तक करना एवं ज्वलनशील पदार्थों का वनक्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित करना।

6. औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनायें

संरचनात्मक शमन

- किसी भी फैक्ट्री के निर्माण के समय ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि फैक्ट्री द्वारा कम से कम खतरे उत्पन्न हो, उदाहरणार्थ कुछ विशेष प्रकार के केमिकल जिनसे विस्फोट संभव हो, के रखने का स्थान, तरीका आदि के विषय में संबंधित विषय विशेषज्ञ से परामर्श लिया जायेगा।
- औद्योगिक क्षेत्र में भूकंपरोधी इमरतों को ही निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी, क्योंकि भूकंप होने पर भवन के क्षतिग्रस्त होने की दशा में केमिकल/गैस रिसाव होना संभावित हो सकता है।
- भू उपयोग योजना इस प्रकार हो कि उद्योग रिहायशी इलाकों से उचित दूरी पर स्थित हों।
- फैक्ट्री में चलित स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।

- फैक्ट्री में आपातकालीन निकास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- अलार्म सिस्टम सही तरीके से कार्य करे इसके लिए समय–समय पर आवश्यक मानिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी।

गैरसंरचनात्मक

- औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा फैक्ट्रीरियों का निरंतर निरीक्षण, एवं परीक्षण कर समय–समय सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे।
- फैक्ट्री के मजदूरों को सुरक्षा संबंधी ''क्या करें, क्या न करे'' पर उचित प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- स्थानीय समुदाय तथा फैक्ट्री मे कार्यरत कर्मचारियों को किसी आपात स्थिति में सूचना देनें हेतु पर्याप्त मात्रा में ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था पूर्व मे ही सुनिश्चित की जायेगी।
- औद्योगिक क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के विषय में जानकारी आदान प्रदान हेतु नियमित बैठकें आयोजित की जायेंगी।

7. त्यौहार एवं मेला संबंधी दुर्घटनायें

संरचनात्मक शमन

1. आवश्यक बैरीकेट्स का निमार्ण।
2. मेला स्थलों पर कूडादान की व्यवस्था।
3. स्वच्छ पेयजल एवं स्थाई या अस्थाई शौचालयों का निर्माण।
4. वाहन पार्किंग व्यवस्था।
5. आवागमन के मार्गों का निर्माण एवं निर्धारण।
6. प्राथमिक चिकित्सा कक्ष की स्थापना एवं आपात स्थिति में चिकित्सा वाहन की तैनाती।
7. आवागमन के मार्गों एवं खोये हुए व्यक्तियों की जानकारी हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना।
8. क्लोज सर्किट कैमरों की स्थापना।

9. मेटल डिटेक्टर गेटों की स्थापना।

गैरसंरचनात्मक शमन

10. मेला आयोजन समिति का गठन एवं समय–समय पर बैठकों का आयोजन।
11. मेला आयोजन का प्लान, रूट चार्ट तैयार करना।
12. मेला सम्बंधी आवश्यक निर्देशों के पालनार्थ जन जागरूकता।
13. अफवाह एवं भगदड से बचने के लिए आवश्यक उपाय।
14. आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती।

8. सड़क दुर्घटनाएं

संरचनात्मक शमन

- पूर्व चिन्हित दुर्घटना स्थलों पर आवश्यकता अनुरूप दो लेन (Two Lan) सड़क निर्माण।
- संभावित दुर्घटना स्थलों पर आवश्यक साइन बोर्ड की स्थापना।
- मुख्य मार्गो, राज्य मार्गो, राष्ट्रीय राज्य मार्गो पर लगने वाले हाट बाजारों को विस्थापित करने हेतु आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।
- पुल–पुलियों की साइड रैलिंग का निर्माण एवं मरम्मत की जायेगी।
- सड़कों पर मार्किंग की जायेगी।
- बेहतर एवं त्वरित चिकित्सा हेतु दुर्घटना संभावित स्थलों पर ट्रामा मोबाईल वेनों को तैनात किया जायेगा।
- दुर्घटना संभावित स्थलों तथा प्रमुख चौराहों पर वाहन की गति कम करने हेतु रम्मबल स्ट्रीप का निर्माण किया जायेगा।

गैर संरचनात्मक शमन

- निरंतर हाइवे पेट्रोलिंग।
- प्रमुख दुर्घटना स्थलों पर पिकेट स्थापना।
- मोबाईल मेडिकल टीम की क्रियाशीलता।
- प्रमुख दुर्घटना संभावित स्थलों पर कार्यरत पुलिस को भी प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- सीट बेल्ट व हेलमेट संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही नियमों का पालन करने वालों को प्रोत्साहित भी किया जायेगा।
- खुले घूमने वाले पशुओं को कांजी हाउस में बन्द किया जायेगा एवं इस संदर्भ में लगातार मानिटरिंग एवं सुपरविजन किया जायेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्गों, मुख्य मार्गों, पर निवास करने वालें परिवारों/समुदायों को यातायात नियमों के विषय में जागरूक किया जायेगा।

9. रेल दुर्घटना

संरचनात्मक

- जिले के समस्त रेल्वे क्रासिंग पर बैरियर का निमार्ण किया जाय
- एक कि0मी0 पूर्व से साइन बोर्ड की स्थापना।
- रेल्वे फाटकों के पास रम्बल स्ट्रीम का निर्माण किया जायेगा।
- सभी मानव रहित फाटकों को मानव युक्त किया जायेगा।
- रेल्वे के किनारे बसे गॉवों को सूची बद्ध किया जायेगा।

गैरसंरचनात्मक

- रेल्वे यातायात के नियमों के प्रति जन समुदाय को जागरूक किया जायेगा।

- ट्रेन में सफर करनें वाले यात्रियों को सुरक्षा सम्बंधी जानकारी प्रदान करना।
- ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा न करने के लिए जागरूक करना।

10. नाव दुर्घटना

संरचनात्मक

- पुरानी नाव का मजबूतीकरण सुनिश्चित किया जायेगा।
- जलाशयों में होने वाले परिवहन के मार्गो का चिन्हिकरण एवं वहॉ पर संकेतकों का निर्माण।
- आवश्यकतानुसार मोटर वोट की तैनाती।
- आपात स्थिति से निपटने के लिए नावों में पर्याप्त मात्रा में बचाव सामग्री जैसे– ट्यूब, रस्सी इत्यादि उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी।

गैर संरचनात्मक

- जल परिवहन हेतु लाइसेंस जारी किये जायेंगे तथा लाइसेंसधारी नाविकों के द्वारा परिवहन किया जायेगा।
- नाव में क्षमता के अनुरूप परिवहन की व्यवस्था लागू की जायेगी।
- अत्याधिक जोखिम वाले मार्गो में बचाव दलों की तैनाती।
- नाव परिचालन करने वाले नाविकों का प्रशिक्षण।
- जल मार्गो का चिन्हिकरण किया जायेगा तथा चिन्हित मार्गो पर संकेतकों के अनुपालन हेतु जन जागरूकता।

11. खतरनाक रसायनों का परिवहन एवं संग्रहण

संरचनात्मक

- रासायनिक सामग्री भण्डारण हेतु सुरक्षित स्थान का चिन्हांकन।
- रासायनिक सामग्री का सुरक्षित भण्डारण एवं यातायात की समय–समय पर सुरक्षा सम्बंधी जॉच।
- आबादी क्षेत्र में रासायनिक सामग्री का भण्डारण एवं यातायात करने वाले वाहनों का रूकना प्रतिबंधित करना।

गैर संरचनात्मक

- खतरनाक रसायनों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना।
- आपात स्थिति में बचाव एवं सुरक्षा सम्बंधी प्रशिक्षण।

12. खदान सम्बंधी दुर्घटनायें

संरचनात्मक

- खदान में सुरक्षा सम्बंधी आवश्यक निमार्ण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- संवेदनशील खदानों का सूचीकरण एवं चिन्हीकरण किया जायेगा।
- सुरक्षा उपकरणों की तैनाती की जायेगी एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी

गैर संरचनात्मक

- ओपनकास्ट, खदानों की पहचान एवं सत्त निरीक्षण करना।
- आस–पास रहने वालों को जागरूक करते हुये क्षमता निर्माण।

- सूचना तंत्र की स्थापना।
- सुरक्षा उपकरणों की जानकारी।

13. महामारी

संरचनात्मक शमन

1. गंदे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था एवं नाली का निर्माण।
2. कूडा–कचडा निस्तारण की व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार कुडेदान का निर्माण।
3. स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था एवं शौचालय का निर्माण।
4. समय–समय पर डी.डी.टी. एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव।
5. प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना।
6. मृत पशुओं के निस्तारण हेतु जगह का निर्धारण।

गैरसंरचनात्मक शमन

1. समय–समय पर संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।
2. महामारी फैलने के कारणों एवं रोकथाम के उपायों के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
3. टीकाकरण की समुचित व्यवस्था।
4. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा, एवं संचार के कार्यक्रमों का आयोजन। जैसे– दीवार लेखन, नुक्कड नाटक, लोक गीत, इत्यादि।

14. सूखा

जिले में सूखा आपदा के प्रभावी शमन हेतु निम्नलिखित संरचनात्मक एवं गैरसंरचनात्मक गतिविधियां सुनिश्चित की जायेगी।

संरचनात्मक शमनः

1. वर्षा जल संचयन

वर्षा जल का एक प्रमुख स्त्रोत है। वर्षा के दिनों में अत्याधिक जल उचित संग्रहण/प्रबंध न होने से व्यर्थ बह जाता है। वर्षा जल के उचित संरक्षण एवं भू–जल संवर्धन हेतु वर्षा जल संचयन पद्धति को जिले में प्रभावी तरीके से लागू किया जायेगा।

2. जलाशय, गहरीकरण एवं निर्माण

जिले में स्थित प्रमुख जलाशयों में अधिक जल संग्रहण हेतु आवश्यक निर्माण तथा साफ–सफाई का कार्य किया जायेगा। आवश्यकतानुरूप प्रभावित क्षेत्रों में नये–नये तालाबों के निर्माण का कार्य भी किया जायेगा। जिससे वर्षा जल का प्रभावी संग्रहण किया जा सके।

3. वृक्षारोपण

वृक्षारोपण के माध्यम से सूखा पर प्रभावी नियंत्रण करने का प्रयास किया जायेगा। जिले मे वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार एवं लागू की जायेगी।

4. भू–जल सुधार हेतु आवश्यक निर्माण

भू–जल स्तर में सुधार हेतु यह अतिआवश्यक है कि जल स्त्रोतों का उचित संरक्षण एवं संवर्धन किया जाये। वर्षा भू–जल स्तर सुधार का एक प्रभावी माध्यम है। वर्षा जल को नष्ट करने के स्थान पर उसके संरक्षण हेतु विभिन्न गतिविधियों जैसे– स्टाप डेम, चेक डेम, सोख्ता गड्ढ़े इत्यादि प्रभावी गतिविधियों के माध्यम से भू–जल स्तर में सुधार हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

5. किसानों को अल्पवर्षा आधारित फसलों के विषय में जानकारी एवं प्रशिक्षण

जिले में किसानों को अल्प वर्षा आधारित फसलों के विषय में विशेष जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्य हेतु जिला कृषि अधिकारी, द्वारा एक कार्य योजना विकसित की जायेगी। किसानों को जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर फसलों का चयन कर उपज लेने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

6. सहकारी समितियों का गठन एवं क्रियाशीलता

सूखा के प्रभावी प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा। इन समितियों द्वारा सूखा प्रबन्धन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु किसानों को यथा संभव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

गैरसंरचनात्मक शमनः

1. सूखाग्रस्त क्षेत्रों का चिन्हांकन
2. ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्षमता का निर्माण
3. जल संसाधन स्त्रोतों के उपयुक्त उपयोग हेतु जिला स्तर पर तंत्र विकसित किया जायेगा।
4. सिंचाई क्षेत्र का विस्तार।
5. अनाज बैंक की स्थापना
6. कृषि बीमा को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इस विषय में किसानों को जागरूक एवं गतिशील करने हेतु बीमा प्रोत्साहन केम्पों का आयोजन जिले में कार्यरत विभिन्न बीमा कंपनियों के सहयोग किया जायेगा।
7. जल स्त्रोतों के बेहतर रख–रखाव हेतु समुदाय को जागरूक एवं गतिशील किया जायेगा।
8. कम वर्षा में होने वाली फसलों के लिए स्थानीय जनसमुदाय को प्रोत्साहित किया जायेगा।
9. ग्राम स्तर पर सूखा–राहत कोष की स्थापना।

10. भू–जल संवर्धन एवं जल संरक्षण हेतु आवश्यक निर्माण कार्य किये जायेगें।

15. ओलावृष्टि

गैर संरचनात्मक शमनः

- फसल बीमा हेतु प्रोत्साहित एवं जागरूक किया जायेगा।
- कृषि विभाग के द्वारा किसानों के साथ समय–समय पर बैठक एवं प्रशिक्षण।
- फसल बीमा के प्रोत्साहन हेतु बीमा कंपनियों के साथ समन्वय कर शिविर का आयोजन।

16. दंगा

संरचनात्मक शमनः

- दंगा नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुरूप रूद्र वाहनों की प्राप्ति की जायेगी।
- दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस बलों के उपयोग हेतु आवश्यकता अनुरूप वाटर कैनन आपूर्ति हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।
- दंगा नियंत्रण हेतु आवश्यक संसाधनों की सूची जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार कर आपूर्ति हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

गैर–संरचनात्मक शमनः

- असामाजिक तत्वों की पूर्व पहचान एवं उनके नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार की जायेगी।
- सूचना प्रसारण तंत्र/मुखबिरों को अधिक प्रभावी किया जायेगा।

- दंगा/बलवा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वदलीय नागरिक सुरक्षा एवं शांति समिति गठित की जायेगी। इन समितियों में क्षेत्र के प्रभावी एवं वरिष्ठ व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा। वार्ता द्वारा विवादों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा।
- धार्मिक एवं संवेदनशील स्थलों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किये जायेंगे।
- वृद्धजनों, बच्चो एवं महिलाओं को दंगा/वलवा की स्थिति में जल्द से जल्द बाहर निकालने हेतु पूर्व मे ही कार्य योजना तैयार की जायेगी।
- पर्वों/त्यौहारों (जैसे– मुहर्रम, होली, दीवाली, ईद इत्यादि) के दौरान विभिन्न संप्रदाय के वरिष्ठ जनों तथा गठित सर्वदलीय नागरिक सुरक्षा एवं शांति समिति की बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जायेगी।

17. एच0आई0वी/एड्स

संरचनात्मक

1. संवेदनशील क्षेत्रों में परामर्श केन्द्रों की स्थापना।
2. स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।
3. संवेदनशील क्षेत्रों में कण्डोम वितरण बाक्स को स्थापित करना।

गैरसंरचनात्मक

1. समुदाय को जागरूक करना।
2. कण्डोम के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
3. पुनर्वास एवं रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।